# कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

**पत्रांक** 139 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2017–2018 **दिनांक** 13 अक्टूबर, 2017

काशी इन्फ्राजोन लिमिटेड
(श्री विजय ग्रीन इन्क्लेव)
डायरेक्टर श्री विमलेन्दु शेखर
पुत्र आलोक कुमार राय
ग्राम मोहम्मदपुर गढी
विकास खण्ड–मोहनलालगंज
तहसील– मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 28.09.2017 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा मोहम्मदपुर गढी विकास खण्ड मोहनलालगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 447 में व्यसायिक भवन कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 935.28 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्मोणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 935.28 में ही निर्माण कराया जाये।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि चूंकि व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, अतः अग्नि शमन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें / भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन / परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन भवन / मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन / परिवर्धन नही किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।